राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक–सीआरओ/राआम/2020–21/236 दिनांक : 01-01-2021

परिपत्र

नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक–प. 17(10)नविवि/II/2019 दिनांक 19.06.20 एवम् समसंख्यक आदेश दिनांक 24.06.2020 की पालना में नीलामी के प्रकरणों में कोविड–19 के मद्देनजर दिनांक 15.03.20 के पश्चात् राशि जमा कराने की अवधि मण्डल के आदेश क्रमांक–सीआरओ/राआम/2020–21/46 दिनांक 25.06.20 से दिनांक 30.09.20 तक बढायी गयी है। तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक–प. 3(212)नविवि/2011/पार्ट दिनांक 30.09.20 की पालना में मण्डल के आदेश क्रमांक–सीआरओ/राआम/2020–21/162 दिनांक 07.10.20 से दिनांक 30.09.2020 को बढाकर दिनांक 31.12.20 तक कर दी गयी तत्पश्चात् मण्डल के आदेश क्रमांक–वसूली/राआम/2020–21/71/498 दिनांक 26.10.20 से ई–सबमिशन, ई–ऑक्शन, बुधवार उत्सव नीलामी, खुली नीलामी के प्रकरणों की बिना ब्याज के तिथि 31.12.20 तक बढायी गयी।

प्रायः देखने में आया है कि वृत्त कार्यालय एवम् खण्ड कार्यालय इस अवधि में राशि जमा कराने वाले बिडदाताओं से प्रशासनिक शुल्क एवम् जी.एस.टी. इत्यादि वसूल रहे है जो उचित नही है। उक्त अवधि बिडदाताओं की प्रार्थना पर न बढाकर मण्डल द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्वतः ही बढायी गयी है।

अतः सभी उप आवासन आयुक्तों एवम् आवासीय अभियन्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में उक्त राशियॉ न ले जिससे बिडदाताओं को कठिनाई का सामना करना पड़े।

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय, रा.आ.मं., जयपुर।
3. निजी सचिव–वित्तीय सलाहकार/सचिव राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
6. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत्त————, रा.आ.मं.,————————।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.मं., जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की बेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
9. आवासीय अभियन्ता, खण्ड————————रा.आ.मं.,————————।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी————————————————, रा.आ.मं. जयपुर।
11. सम्पदा प्रबन्धक वृत्त————राजस्थान आवासन मण्डल,————।
12. लेखाधिकारी, वृत्त————————,रा.आ.मं.,————————।
13. कार्यालय आदेश/रक्षित पत्रावली।

आवासन आयुक्त